UPRB010032242026

न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी– कुशलपाल,

(एच जे एस)

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–1375/2026

राम आसरे आयु लगभग 51 वर्ष पुत्र बैजनाथ निवासी अडार मजरे अकबरपुर चौराई थाना हथगांव जिला फतेहपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ०प्र०राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) रायबरेली।

.....विपक्षी/अभियोगी।

दिनांक–03.06.2026

प्रार्थी/अभियुक्त राम आसरे की ओर से यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अन्तर्गत अपराध संख्या **28/2026**, धारा–**9/39/51/48ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,** थाना **गदागंज**, जिला **रायबरेली** में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19.02.2026 को वादी मुकदमा उ0नि0 अजय कुमार मय हमराही पुलिस कर्मचारीगण के थाना हाजा रवाना होकर देखभाल क्षेत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में मामूर थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि दो व्यक्ति सुल्तानपुर बढैया (भुरकुशापुर घाट) की तरफ से एक आटो रिक्शा पर कछुओं को बोरी में रखकर ग्राम सुल्तानपुर बढैया से ग्राम भुरकुशापुर की तरफ जा रहे हैं। मुखबिर खास की सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों द्वारा एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर इत्मिनान किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है तथा मुखबिर खास को लेकर अपने प्राइवेट वाहन से उसके बताये हुये स्थान की तरफ चल दिये कि सुल्तानपुर बढैया के पास सामने से आटो रिक्शा आते हुआ देखकर करीब 200

मीटर पहले अपने वाहनों को रोड की साइड में खड़ा कर दिये। मुखबिर खास ने आटो रिक्शा की तरफ इशारा करके बताया कि साहब वह वही आटो रिक्शा हैं जिसमें देखी बोरी व प्लास्टिक की थैले में कछुये है, बताकर पीछे मुड़कर चला गया कि एक बारगी दबिश देकर आटो रिक्शा को रोका तो आटो रिक्शा पर बैठा व्यक्ति मौके से भाग गया तथा आटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया गया। आटो रिक्शा को हमराहीजनों के साथ मिलकर तलाश की गई तो आटो रिक्शा में 04 बोरी व 02 प्लास्टिक के थैले मिले, जिन्हें खोलकर देखा गया तो बोरी व प्लास्टिक के थैले में कछुवे थे। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुये जामा तलाशी ली गई तो पकड़े गये व्यक्ति के पैंट के दाहिने जेब से 100–100 रु/– के दो नोट व 20 रु/– का एक नोट व एक आधार कार्ड मिला व पैंट के बाये जेब से एक अदद रेडमी मोबाइल फोन मिला, तथा नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम राम शंकर पाल पुत्र राम हरक पाल बताया गया तथा आटो रिक्शा पर रखी बोरी व थैलों के बारे में पूछने पर बताया कि बोरी व थैलों में कछुवे हैं, जिन्हें मैंने और मेरे साथी राजा बारी ने गंगाजी से शिकार करके पकड़े थे तथा इसको लेकर अमेठी जा रहे थे। मेरा साथी राजा बारी आटो से निकलकर भाग गया और आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया। पकड़े गये व्यक्ति से कछुवे का शिकार करना व उसे बेचने के सम्बन्ध में प्रपत्र मांगे गये तो दिखाने से कासिर रहा जिसकी सूचना मुझ उ0नि0 दवारा जरिये दूरभाष क्षेत्रीय वन अधिकारी डलमऊ के दूरभाष नंबर पर देकर अवगत कराया गया कि सूचना पर कुछ समय पश्चात क्षेत्रीय वन अधिकारी डलमऊ श्री रविशंकर मय हमराह वन दरोगा श्री दिनेश कुमार गौतम, वनरक्षक राकेश कुमार, वनरक्षक अखिलेश, वनरक्षक ब्रिजेश कुमार अपने निजी साधन से मौके पर उपस्थित आये जिनके द्वारा पकड़े गये व्यक्ति राम शंकर पाल उपरोक्त के पास से बरामद बोरी व थैले को संयुक्त टीम द्वारा खोलकर देखा गया तो कुल 15 कछुये जिसमें 14 जीवित अवस्था में तथा 01 मरणासन्न अवस्था में बरामद हुआ। नावक्त होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सका। मौके पर बरामद 14 जिंदा कछुआ व 01 मरणासन्न कछुआ को वन अधिकारियों के संरक्षण में आवश्यक कार्यावही हेतु सुपुर्दगी में दिया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपने जमानत प्रार्थनापत्र में यह कथन किया गया कि प्रार्थी / अभियुक्त पूर्णतया निर्दोष है उसे मनगढन्त झूठी कहानी गढ़ करके झूठा फंसाया गया है। वाद उपरोक्त मे प्रार्थी / अभियुक्त नामजद अभियुक्त नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे लिखा हुआ है कि नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम राम शंकर पाल पुत्र राम हरक पाल है उसने बताया कि बोरी व थैली मे कछुवे है

जिन्हे मैने और मेरे साथी राजा बारी पुत्र अज्ञात नि० मेहसआ ने गंगाजी से शिकार करके पकडे थे। इसको लेकर अमेठी जा रहे थे आप लोगो ने रास्ते मे हमे रोका तो मेरा साथी राजाबारी निकाल कर भाग गया, आप लोगो ने मुझे पकड लिया जिससे प्रार्थी / अभियुक्त का नाम कही पर नही आया बाद मे रंजिशन व साजिशन पुलिस द्वारा प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्ष्य का पूर्णतया अभाव है। कथित घटना की कडिया आपस मे जुडती नजर नही आती है। प्रार्थी / अभियुक्त को फर्जी उक्त झटना मे संलिप्त किया गय है । प्रार्थी / अभियुक्त ने ऐसी कोई घटना कारित नही किया है। कथित घटना के सम्बन्ध में प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को फर्जी कहानी गढ़ करके झूठा फंसाया गया है प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फर्द बरामदगी मे प्रार्थी / अभियुक्त का कोई नाम नहीं है। उपरोक्त मामले मे प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपसात साल से कम सजा के प्राविधान के है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध जनता का कोई स्वतन्त्र साक्षी नही है। प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी मामला विधि विरूद्ध किया कलाप निवारण अधिनियम व स्वायक एवं मनोप्रभावी अधिनियम शासकीय उ० प्र० अधिनियम उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी किया कलाप निवारण अधिनियम का किसी भी थाने मे पंजीकृत नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं फर्द बरामदगी व अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से प्रार्थी / अभियुक्त के विरूद्ध अं० धारा 9/51/39/48 ए वन्य जीव संरक्षण अधि० का अपराध सृजित नही होता है। प्रार्थी/अभियुक्त को आशंका है कि थाना गदागंज की पुलिस प्रार्थी/अभियुक्त को उपरोक्त अपराध मे गिरफ्तार कर सकती है और प्रताड़ित कर सकती है। प्रार्थी / अभियुक्त के घर पर जब थाना गदागंज की पुलिस दबिश देने गयी थी तो प्रार्थी / अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय श्रीमान सिविल जज सी०डि० रायबरेली के यहाँ आत्मसमर्पण व मंगाये जाने आख्या हेतु प्रार्थना पत्र योजित किया तब थाना गदागंज से आख्या आने प्रार्थी / अभियुक्त मु०अ० संख्या–28/26, अं० धारा9/15/39/48 ए वन्य जीव संरक्षण अधि० मे वांछित होने की जानकारी हुई । प्रार्थी / अभियुक्त श्रीमानजी के समक्ष अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र योजित कर रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त को यदि अग्रिम जमानत पर स्वतन्त्र किया जाता है तो वह अभियोजन पर अनुचित दबाव नहीं डालेगे और न ही साक्ष्यो को डरायेगा न धमकायेगा। प्रार्थी / अभियुक्त को उपरोक्त मामले मे विवेचक द्वारा जब भी पूछताछ है अथवा अन्य किसी कार्यवाही के लिए बुलावा जायेगा वह स्वेच्छा से स्वयं विवेचक का सहयोग करेगा एवं विवेचना मे पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। प्रार्थी /अभियुक्त बिना

न्यायालय की अनुमति के भारत देश व गृह जनपद नही छोडेगा। प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना है। इसके अलावा किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्ययालय मे अथवा भारत वर्ष के किसी न्यायालय मे न तो प्रस्तुत किया गया है, न ही विचाराधीन है न स्वीकृत किया गया है न ही निरस्त किया गया है। वाद उपरोक्त मे प्रार्थी / अभियुक्त अपनी अग्रिम जमानत देने को तैयार है उसका वह दुरूपयोग नही करेगा एवं माननीय न्यायालय के आदेशो का अनुपालन करेगा। अतः प्रार्थी/ अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

अभियुक्त की तरफ से बहस की गयी कि वाद उपरोक्त मे प्रार्थी / अभियुक्त नामजद अभियुक्त नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट मे लिखा हुआ है कि नाम पता पूछने पर उसके द्वारा अपना नाम राम शंकर पाल पुत्र राम हरक पाल है उसने बताया कि बोरी व थैली मे कछुवे है जिन्हे मैने और मेरे साथी राजा बारी पुत्र अज्ञात नि० मेहसआ ने गंगाजी से शिकार करके पकडे थे। इसको लेकर अमेठी जा रहे थे आप लोगो ने रास्ते मे हमे रोका तो मेरा साथी राजाबारी निकाल कर भाग गया, आप लोगो ने मुझे पकड लिया जिससे प्रार्थी / अभियुक्त का नाम कही पर नही आया बाद मे रंजिशन व साजिशन पुलिस द्वारा प्रार्थी को अभियुक्त बनाया गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

अभियोजन की तरफ से जमानत का विरोध करते हुए यह बहस की गई कि अभियुक्त द्वारा अपराध कारित किया गया है जो विवेचना से स्पष्ट है। अभियुक्त नामजद अभियुक्त नहीं है, अभियुक्त का नाम विवेचना में प्रकाश में आया है। घटना के गवाह फर्द गवाह के रूप में मौजूद है जिनका बयान अंकित किया गया है। cctns रिपोर्ट संलग्न रिपोर्ट है। यदि अभियुक्त को जमानत दी गई तो वह साक्ष्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा तथा विवेचना में सहयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उभयपक्षों के तर्क के आलोक में पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट है कि अभियुक्त रामशंकर व राजा बारी के पास से कथित रूप से कछुए की बरामदगी के आधार पर उक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया। कथित बरामदगी के समय तैयार किये गए फर्द बरामदगी में अभियुक्त राम आसरे का नाम वर्णित नहीं है। अभियुक्त का नाम सहअभियुक्त राजा के द्वारा दिये गए बयान से प्रकाश में आया है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र साक्षी वर्णित नहीं है। अभियुक्त से

सहअभियुक्त राजा द्वारा उक्त कछुआ खरीदने की बात बतायी गई है, किंतु इस संदर्भ में कोई साक्ष्य पत्रावली पर इस स्तर पर संकलित नहीं है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रार्थी–अभियुक्त **राम आसरे** को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने के आधार पर्याप्त पाता है। तद्नुसार उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **राम आसरे** द्वारा अपराध संख्या **28/2026**, धारा–**9/ 39/51/48 ए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम,** थाना **गदागंज**, जिला **रायबरेली** के मामले में उसके द्वारा **पचीस हजार रूपये** का व्यक्तिगत बंधपत्र व इसी धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने तथा अधोवर्णित वचनपत्र दाखिल करने की शर्त पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

1– वह अभियोजन साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा व गवाहों को डरायेगा, धमकायेगा नहीं।

2– जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी अपराधिक गतिविधियों में या अन्य अपराध कारित करने में सम्मिलित नहीं होगा।

3– वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा और साक्ष्य हेतु नियत तिथि पर जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, स्थगन नहीं लेगा।

4– वह आरोप विरचित किये जाने की तिथि पर तथा धारा 313 दं०प्र०सं० का बयान अभिलिखित किये जाने की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(कुशलपाल)
UPID 6165
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।
03.06.2026

Vishnu Prakash Srivastava
(Stenographer)